न्यायालय न्याय निर्णाधक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलासं – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 43/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर।		1 हेमन्त मेहता पुत्र स्व. छगनराज मेहता निवासी 30, मूथो का बास, मेडतासिटी। फर्म–मैसर्स श्री नाकोडा एजेन्सीज, 2, 1 श्री नाकोडा एजेन्सीज, जी डी सोनी मार्ग, मेडतासिटी जिला नागौर। 2सरोज देवी पत्नी छगनराज मेहता निवासी 30, मूथो का बास, मेडतासिटी। फर्म– मैसर्स श्री नाकोडा एजेन्सीज, 2, 1 श्री नाकोडा एजेन्सीज, जी डी सोनी मार्ग, मेडतासिटी जिला नागौर। 3दीपक कुमार पारीक पुत्र लक्ष्मीनारायण पारीक फर्म–मैसर्स शरद मिल्क प्रोडेक्ट, एच–1–220, करणी इण्स्ट्रीयल एरिया, फेज–2 रिको बीकानेर, एफ–411–412, करणी इन्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।

आदेश

दिनांक :23.12.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवाये, जयपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 07-07-2020 को मैसर्स श्री नाकोडा एजेन्सीज, 2, 1 श्री नाकोडा एजेन्सीज, जी डी सोनी मार्ग, मेडतासिटी जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ Proprietory Food (Ujala Kitchen Special) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1285 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 830/एक्ट/2020/900 दिनांक 15.07.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना Proprietory Food (Ujala Kitchen Special) मिसब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण हेमन्त मेहता पुत्र स्व. छगनराज मेहता निवासी 30, मूथो का बास, मेडतासिटी जिला नागौर, सरोज देवी पत्नी छगनराज मेहता निवासी 30, मूथो का बास, मेडतासिटी जिला नागौर तथा दीपक कुमार पारीक पुत्र लक्ष्मीनारायण पारीक ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ. एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 24-06-21 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्रीमती अर्चना पारीक ने अपना वकालतनामा दिनांक 23.12.2021 को पेश किया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.12.2021 को अपने जवाब प्रस्तुत किये। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नें मेरी फर्म श्री नाकोडा एजेन्सी मेडता से वनस्पति ऑयल (उजाला) लिया था। जो मिसब्राण्डेड होना पाया गया। मैने यह वनस्पति (उजाला किचन स्पशेल ब्रान्ड) शरद मिल्क प्रोडेक्ट बीकानेर से खरीदकर आम जनता को जिस स्थिति मे आता है। उसी स्थिति मे वापास बेचता हूँ। भविष्य मे ध्यान रखूँगा। ऐसी गलती नही करूंगा। अतः कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी सं. 3 ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरी फर्म से तैयार उजाला वनस्पति ऑयल को मिसब्रान्ड आना पाया गया है। यह ब्रान्ड पूर्णतया सही व शुद्व है। लेकिन गलती की वजह से मिसब्रान्ड हो गया है। भविष्य मे यह गलती नही दोहराऊंगा। अतः कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 830/एक्ट/2020/900 दिनांक 15.07.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ Proprietory Food (Ujala Kitchen Special) का नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 हेमन्त मेहता पुत्र स्व. छगनराज मेहता निवासी 30, मूथो का बास, मेडतासिटी जिला नागौर तथा अप्रार्थी सं. 2 सरोज देवी पत्नी छगनराज मेहता निवासी 30, मूथो का बास, मेडतासिटी जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये तथा अप्रार्थी सं. 3 दीपक कुमार पारीक पुत्र लक्ष्मीनारायण पारीक पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये कुल रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शारित राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर